

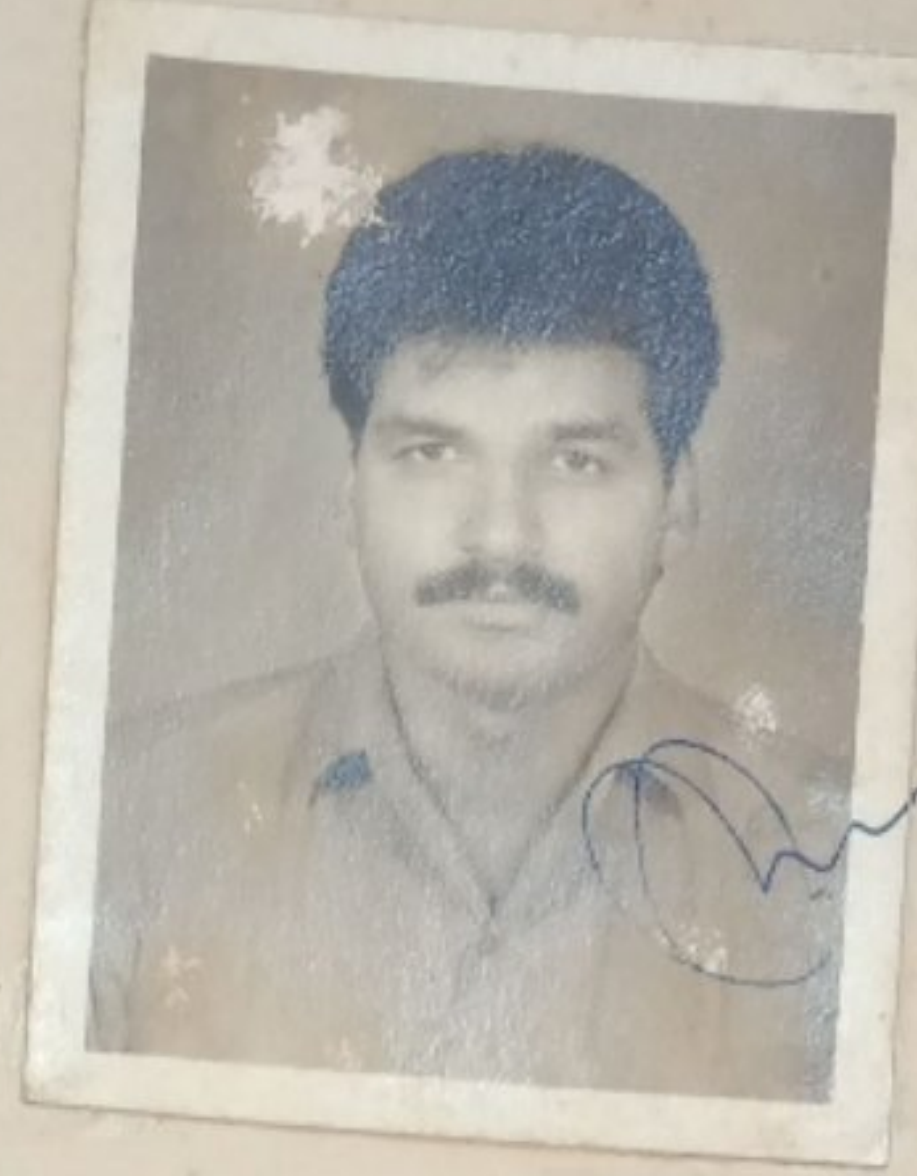
3404

विक्रय पत्र

81000/-रुपये- स्टाम 11750/-रुपये-भूमि 2889'-8" वर्गफुट-अर्थात् 268.55वर्गमीटर- दर 300/-रुपये प्रतिवर्गमीटर- आवास करके अन्तर्गत-

मैं चन्द्रकान्त पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश चन्द्र निवासी जगदीशनगर समीप बैरियर सेक्टर 2 ग्राम अहमदपुर कडछ परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार का

श्री-



मैं स्वस्थ मन एवं चित्त से और स्वेच्छा से निम्नलिखित सम्पत्ति को जिसका मैं एकमात्र स्वामी और बेचने का पूर्ण अधिकारी हूँ और जो हर प्रकार के करजे, भार, साझी, अंशी और हस्तान्तरण से मुक्त एवं शुद्ध है को...8.1000/-

इक्क्यासी हजार रुपये-

में वदस्त श्री सतीश कुमार अरोडा पुत्र श्री देशराज अरोडा व श्रीमती प्रवीण अरोडा धर्मपत्नी श्री सतीशकुमार अरोडा निवासी उक्त जगदीश नगर ग्राम अहमदपुर कडछ परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार-

के हाथ बेच दी और कब्जा दखल मालकान व वाकई अपनी सम्पत्ति विक्रीत से उठाकर कब्जा दखल मालकाना व वाकई उस पर क्रेता का बखूबी तौर पर करा दिया है। अतः इकरार करता हूँ और लिख देता हूँ कि उक्त क्रेता सदैव सम्पत्ति विक्रीत पर मालकाना काबिज व मुतसरिफ रहे और उसको जिस तरह चाहे अपने तसर्खक इस्तेमाल मालकाना में लावे और कागजात सरकारी में बखाने मिलकियत अपना नाम दर्ज करा ले अब मेरा या मेरे वारिस या कायम मुकाम का सम्पत्ति विक्रीत या उसके किसी अधिकार से कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है और ना आइन्दा होगा आज की तारीख उक्त क्रेता को पूर्ण अधिकार मालकाना, इस्तेमाल व इन्तकालात वगैरा हर किस्म के हासिल हो गये हैं, अब मेरा किसी प्रकार का कोई अधिकार किसी किस्म का सम्पत्ति विक्रीत में बाकी नहीं रहा है और न आइन्दा को होगा अगर आइन्दा कब्जा-दखल मालकान या वाकई उक्त क्रेता में कुछ हरज या खलल किसी किस्म का आयद आवे बवजह दावेदारी किसी शख्स शरीक सहीम या हकदार किफालतदार के उक्त सम्पत्ति विक्रीत या उसका कोई अंश खरीदार के कब्जा दखल मालकाना या वाकई से निकल जावे तो उक्त क्रेता को अधिकार प्राप्त होगा कि अपना विक्रय-धन मय हरजे व खरचे हर प्रकार के सम्पत्ति विक्रीत व अन्य सम्पत्ति व जात खास मेरी से जिस तरह पर चाहे वसूल करले और कुल विक्रय धन निम्नलिखित ब्यौरे अनुसार खरीदारी से वसूल पाया। अतः यह विक्रय-पत्र लिपिवद्ध कर दिया कि प्रमाण रहे।

सम्पत्ति का ब्योरा

एक टुकड़ा भूमि जिसका माप पूर्व 39' उन्नतालीस फुट, पश्चिम

फिस रजि० --- उजरत --- योग --- शब्द
श्री --- पत्नी --- पुत्र --- पुत्री ---
निवासी ---
न कार्यालय सब रजिस्ट्रार हरिद्वार में आज
दि० १६/८/८९ बीच समय --- बजे
दिन के प्रस्तुत किय मय कि० ज० व 37 G

[Signature]

[Signature]
16.8.89

इस लेख पत्र के विवरण को सुन व समझ कर
तथा अंकन ---
पहले पा लेना ब्यान करके एवं अंकन ---
रु० नकद हमारे
सामने पाकर सम्पादन की उक्त श्री ---

[Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

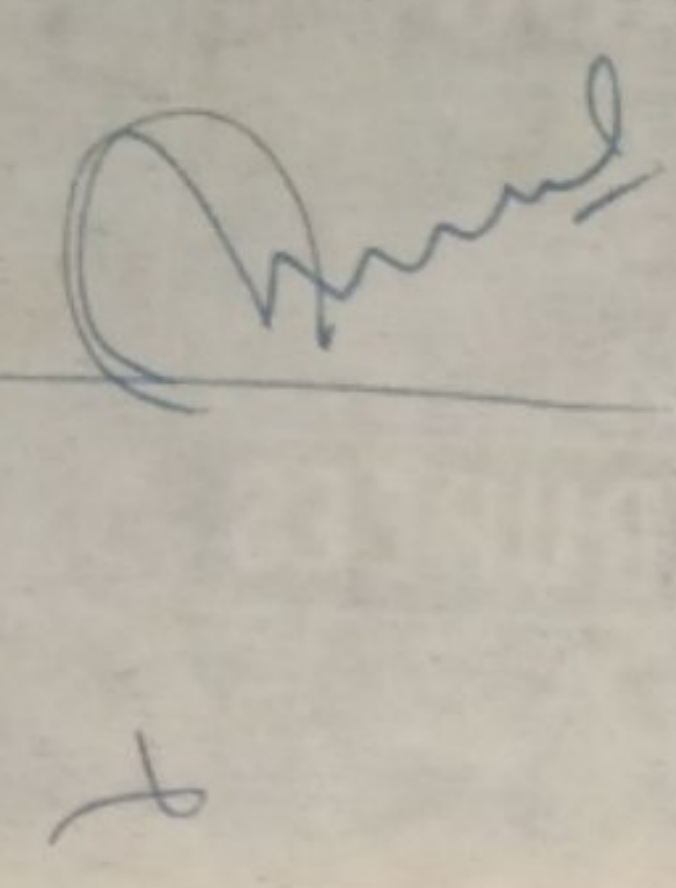


: - 2 - :

पश्चिम 38'-9" अडतीस फुट नो इंच, उत्तर 72'-9" बाहतर फुट नो इंच, दक्षिण

76'-2" छियतर फुट दो इंच है नम्बर खसरा 276मि० दो सौ छियतर मिनजुमला

1047 16-8-89
सर्वोच्च न्यायालय में दस्तखत
की जायगी



विजय शर्मा

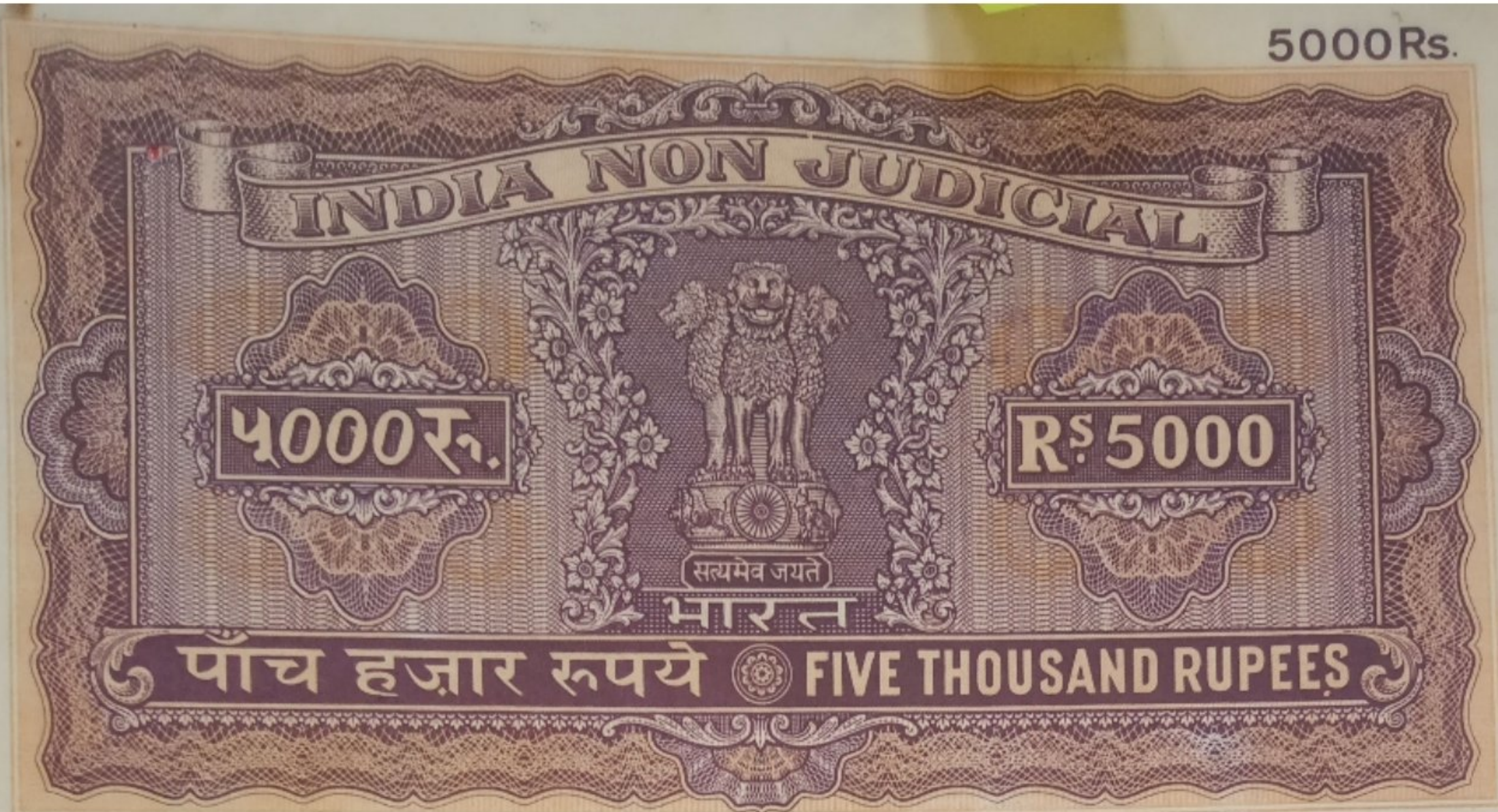
सर्वोच्च न्यायालय



हकिर ने दस्तखत
कराया

16-8-89



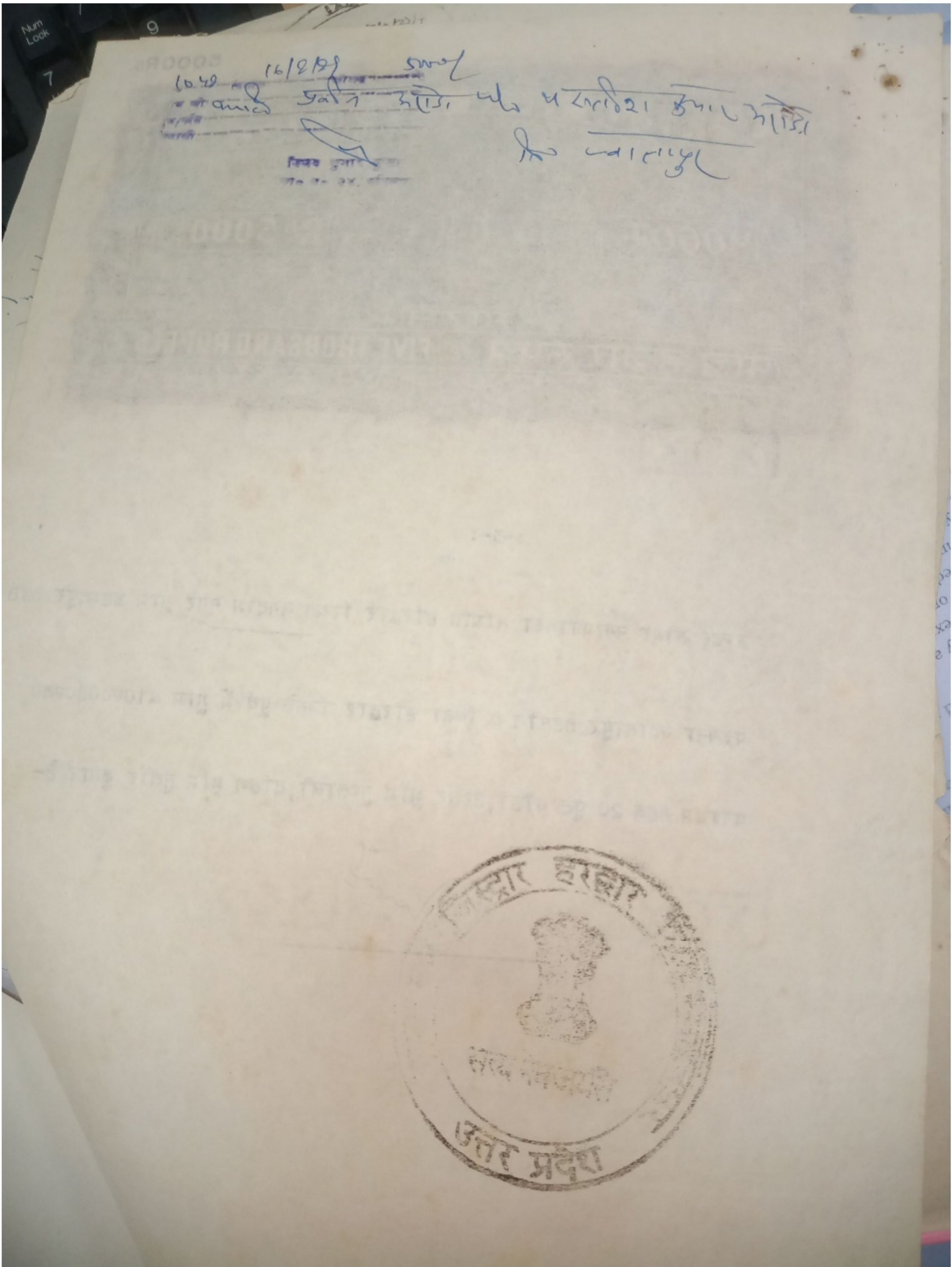


: - 3 - :

अन्दर सीमा नगरपालिका समिति हरिद्वार स्थित जगदीश नगर ग्राम अहमदपुर कडु

परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिसके पूर्व में भूमि बी०एच०ई०एल०

पश्चिम सडक 20 फुट चौडी, उत्तर भूमि गुप्ताजी, दक्षिण भूमि सुधीर कुमार है-





: -4- :

मूल्यराशी के अन्तर्गत 11000/- ग्यारह हजार रुपये पहले प्राप्त किये हुए व

शेष 70000/- सत्तर हजार रुपये का चैक नम्बरी 970628 -----

500Rs.



: -5- :

दिनांक 7.9.89 भारतीय स्टेट बैंक रानीपुर मौसूमे मुझ मुक्तिर समय रजिस्ट्री

प्राप्तकरंगा-

निष्पादक के फोटो का प्रमाणितकरण जयनारायण भटनागर नो0प0ले0हरिद्वार ने

में धनका तो पत्र स्वयंसेवक के अंतर्गत- जावास करके अन्तर्गत-

500Rs.



: - 6 - :

किष्ठा है-

[Signature]

SATO

देवा राज पुत्र लाल देवी दाम

अगदीश नगर काबूली
आला पुत्र

SATO

[Signature]
No. 28-1-1923

टाईपकर्ता

[Signature]

रचिषता-

[Signature]

[Signature]

1051 16/8/89 2007
1048

विशेष निदेश
10/8/89

667 267
237/240
669
18/8/89
3404

